

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/20 803

दिनांक: 06/9/19

आदेश

राज्य सरकार के पूर्व आदेशों से नियुक्त श्री भागीरथ जोशी, विधि सलाहकार के स्थान पर श्री अशोक पुत्र श्री रमेश चन्द्र राठौड एवं श्री केसर लाल बाटी, विधि सलाहकार के स्थान पर श्री विशाल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह एडवोकेट को निर्देशानुसार नगर परिषद, प्रतापगढ में नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर आगामी एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक के लिये पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

  
(उज्ज्वल राठौड)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी/19/20 804 - 19

दिनांक: 06/9/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
05. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद प्रतापगढ।
06. श्री भागीरथ जोशी/श्री केसर सिंह बाटी, विधि सलाहकार, नगर परिषद प्रतापगढ।
07. श्री अशोक/श्री विशाल सिंह, एडवोकेट मार्फत, नगर परिषद प्रतापगढ।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी